

बिहार गजट

असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 श्रावण 1940 (श0) (सं0 पटना 729) पटना, सोमवार, 30 जुलाई 2018

विधि विभाग

अधिसूचनाएं 30 जुलाई 2018

संoएलoजीo-01-8/2018-70/लेज-बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्ललिखित अधिनियम जिसपर महामिहम राज्यपाल दिनांक 27 जुलाई 2018 को अनुमित दे चुके है, इसके द्वारा सर्वसाधारण को सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अखिलेश कुमार जैन, सरकार के सचिव।

(बिहार अधिनियम 9. 2018)

बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2018

बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 13, 2014) को संशोधित करने के लिए अधिनियम।

प्रस्तावना ।-

चूँिक बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2014 की धारा-8 के अनुसार बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संप्रति अधिनियम की अनुसूची में यथा सिम्मिलत रु० 4800/— (चार हजार आठ सौ) ग्रेड पे अथवा समय-समय पर यथा पुनरीक्षित ग्रेड पे से कम ग्रेड पे वाले राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में समूह 'ख' एवं 'ग' के तकनीकी सेवाओं/संवर्गों/पदों पर ही नियुक्ति हेतु चयन एवं अनुशंसा की कार्रवाई की जानी है;

और चूँकि राज्य सरकार के तकनीकी पदों, यथा—सहायक अभियंता, चिकित्सक एवं पशु-चिकित्सक के चयन एवं अनुशंसा की कार्रवाई सम्प्रति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है;

और चूँकि राज्य सरकार के उक्त पदों पर चयन एवं अनुशंसा की कार्रवाई बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से निष्पादित किये जाने से इन पदों पर चयन की कार्रवाई में गति एवं सुविधा संभावित है; और चूँकि राज्य सरकार के 4800 / — ग्रेड पे एवं इससे अधिक ग्रेड पे के उक्त तकनीकी पदों पर चयन एवं अनुशंसा की कार्रवाई, बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से ही किये जाने संबंधी प्रावधान करने के लिए उक्त अधिनियम में संशोधन किया जाना समीचीन है;

और चूँिक उपर्युक्त संषोधन के पश्चात् राज्य सरकार के 4800 / — ग्रेड पे एवं इससे अधिक ग्रेड पे के प्रसंगाधीन तकनीकी पदों पर नियुक्ति हेतु चयन एवं अनुशंसा की कार्रवाई भी, बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से किया जायेगा, ऐसी स्थिति में उक्त अधिनियम को संशोधित करते हुए आयोग के नाम में प्रयुक्त शब्दों ''कर्मचारी'' तथा ''चयन'' को ''सेवा'' से प्रतिस्थापित करते हुए इसका नाम ''बिहार तकनीकी सेवा आयोग'' किया जाना समीचीन है;

इसलिए, अब भारत गणराज्य के 69 वें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :—

- 1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।**—(1) यह अधिनियम "बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2018" कहा जा सकेगा।
 - (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
 - (3) यह त्रंत प्रवृत्त होगा।
- 2. बिहार अधिनियम 13, 2014 के शीर्षक, धारा-1 की उपधारा—1, धारा-2 की उपधारा—(i), धारा-2 की उपधारा—(ii), धारा-3, धारा-10 एवं अनुसूची में संशोधन |—उक्त अधिनियम, 2014 के शीर्षक, धारा-1 की उपधारा—1, धारा-2 की उपधारा—(i), धारा-2 की उपधारा—(ii), धारा-3, धारा-10 एवं अनुसूची में उल्लिखित बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग में प्रयुक्त शब्दों "कर्मचारी" तथा "चयन" को "सेवा" से प्रतिस्थापित किया जायेगा।
- 3. बिहार अधिनियम 13, 2014 की धारा-8 में संशोधन।—उक्त अधिनियम, 2014 की धारा-8 में प्रयुक्त शब्द एवं अंक "रु० 4800/— (चार हजार आठ सौ) ग्रेड पे अथवा समय-समय पर यथा पुनरीक्षित ग्रेड पे से कम ग्रेड पे वाले" को विलोपित किया जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से, अखिलेश कुमार जैन, सरकार के सचिव।

30 जुलाई 2018

सं०एल०जी०-01-8/2018-69/लेज-बिहार विधान मंउल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 27 जुलाई 2018 को अनुमत बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2018 का निम्नलिखित अंग्रजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अखिलेश कुमार जैन, सरकार के सचिव।

(Bihar Act 9, 2018) Bihar Technical Staff Selection Commission (Amendment) Act, 2018

AN ACT

to amend The Bihar Technical Staff Selection Commission Act, 2014 (Bihar Act 13, 2014) Preamble:-

WHEREAS, According to section-08 of Bihar Technical Staff Selection Commission Act, 2014, The Bihar Technical Staff Selection Commission has to select and recommend for appointment to the Technical Services/Cadres/ Posts of Group 'B' and 'C' of grade pay less than, Rupees 4800/-or corresponding grade pay revised from time to time in different departments and regional offices of the State Government.

AND WHEREAS, the process of selection and recommendation for the technical posts of the State Government such as Assistant Engineer, Doctor and Veterinary Doctor is presently done by the Bihar Public Service Commission;

AND WHEREAS, it is presumed that the process of selection and recommendation for the above said posts will be executed with speed and convenience by The Bihar Technical Staff Selection Commission:

AND WHEREAS, amendment in the said Act is necessary for making provision for procedure of selection and recommendation on the technical post of grade pay 4800/- and above of the State Government also by the Bihar Technical Staff Selection Commission;

AND WHEREAS, after aforesaid amendment, procedure for selection and recommendation for appointment on the referred technical post of grade pay 4800/- and above of the State Government shall be done by the "Bihar Technical Staff Selection Commission", in this circumstance it is necessary to name it as "Bihar Technical Service Commission" after amending the said Act by substituting the word "Service" for "Staff" and "Selection" used in the name of the Commission.

NOW THEREFORE, Be it enacted by the legislature of the State of Bihar in the Sixty Ninth year of republic of India as follows:-

- 1. Short title, Extent and Commencement.— (1) This Act may be called The Bihar Technical Staff Selection Commission (amendment) Act, 2018.
 - (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
 - (3) It shall come in to force at once.
- 2. Amendment in the Title, Sub-section-1 of Section-1, Sub-section-(i) of Section-2, Sub-section-(ii) of Section-3, Section-10 and in Schedule of the Bihar Act 13, 2014. The words "Staff" and "Selection" used in "Bihar Technical Staff Selection Commission" mentioned in the Title, Sub-section-1 of Section-1, Sub-section-(i) of Section-2, Sub-section-(ii) of Section-2, Section-3, Section-10 and in Schedule of the said Act, 2014 shall be substituted by the word "Service".
- 3. Amendment in Section-8 of Bihar Act 13, 2014.— the word and figures "Grade pay less than Rupees 4800/- (four thousand eight hundred) or corresponding grade pay as revised from time to time" used in section-8 of the said Act, 2014 shall be omitted.

By Order of the Governor of Bihar, AKHILESH KUMAR JAIN, Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 729-571+400-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in